

02.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वर्गी या प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थीगण का यह आग्रह अदम्य पेशी-अदम्य टाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक़ा तक़मील होकर शामिल दफ़तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय में सुनाया गया।

R.A.S.
02.04.25
(किरणपाल)
R.A.S.